## फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण 54/19 लालाराम बनाम ओमप्रकाश

केस संख्या : नया 84/25 दावा

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 8/1/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रा०पत्र० आदेश 07 नियम 10 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र O1R10 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र O1R10 में जाहिर किया गया कि अन्य वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु प्रार्थी ने इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया तथा प्रार्थी यह साबित करने में भी असफल रहे की प्रार्थी को पक्षकार क्यों बनाया जावे अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O1R10 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात दिनांक 9/1/2025 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>आमेर मु. जयपुर | |
| | 9/1/2025 | पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उप.। उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात प्राप्ति दिनांक 11.11.2024 से आज दिनांक कोई आपत्ति पेश नहीं की है। ना ही आपत्ति के संबंध में समय चाहा। पत्रावली एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>आमेर मु. जयपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 84/2024
बउनवानी – लालराम बनाम ओमप्रकाश वगै0
निर्णय दिनांक – 09.01.2025

**न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,**
**मुख्यालय जयपुर (राज.)**
**पीठासीन अधिकारी : अंजू वर्मा**
**आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या – 84/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 24.06.2019

लालाराम पुत्र स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्ग्रम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर

......... **वादीगण**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मंगल चन्द स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. अर्जुन पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रतन पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. बाबुलाल पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर, आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)
7. उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर।
8. आई डी बी आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक विद्याधर नगर जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

**उपस्थिति :– (1) श्री मदनलाल कुडी अधिवक्ता – वादी की ओर से**
**(2) श्री मोहनलाल जाट अधिवक्ता – प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ओर से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय दिनांकः– 09.01.2025**

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि राजस्व ग्राम दत्तावता पटवार हल्का चतरपुरा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 13/218 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 23/260 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24

रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 8 पुराना 9 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुसर में उक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंति चला आ रहा है। वाद अधिन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण बिना विधिक विभाजन के कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को विक्रय हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द करने एवं वादी को बेदखल करना चाहते है उक्त परिस्थितियो के आधार पर वादी विधिक विभाजन की डिक्री बहस वादी विरूद्व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में अंकित भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित हिस्सा 1/4 को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के 1/4 का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावे।

उक्त वाद में सभी पक्षकारान को सुनकर 13.03.2020 को अंतिम डिक्री किया गया था। उसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान की अपील/डिक्री/टीए/5040/2020/जयपुर निर्णय दिनांक 18.09.2024 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय बहाल रखते हुये। उभयपक्ष को सुनकर राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए 6 माह के अन्दर–अन्दर निर्णय डिक्री हेतु आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद [illegible] के उपरान्त प्रकरण पुनः नियमानुसार दर्ज पंजिका [illegible] उभयपक्ष आदेशित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 [illegible]यत 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा माननीय

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित करने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा मुताबिक निर्णय एवं राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव इस न्यायालय दिनांक 11.11.2024 को भिजवाये गये। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्ती दिनांक 11.11.2024 के बाद से उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा उभयपक्ष को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाने हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये है। पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। उभयपक्ष द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रभात जाति जाट सा. देह राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चम्पापुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 25/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/1 रकबा 0.3325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27/2 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.6075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. लालाराम पुत्र प्रभात जाति जाट सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 25/3 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा [illegible]/2 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/2 रकबा [illegible] नम्बर 27/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0[illegible]75 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. मंगलचन्द पुत्र प्रभात जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चम्पापुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 27/3 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/4 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/3

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/218/2 रकबा 0.0425 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. अर्जून पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 15/24, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/24, रतनलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 4/24 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/4 रकबा 0.23500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/7 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/218/3 रकबा 0. 2825 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6075 हेक्टेयर भूमि रहेगी।

5. अर्जून पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/32 ओमप्रकाश पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 राहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चम्पापुरा बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/96 मंगलचन्द पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 रतनलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/24 लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 राहिन आईडीबीआई बैंक सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 13/218/1 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

## अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अंजू वर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या – 84/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 09.01.2025

लालाराम पुत्र स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्ग्रम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर

......... **वादीगण**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दतावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मंगल चन्द स्व. श्री प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. अर्जुन पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रतन पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. बाबुलाल पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम दत्तावता तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर, आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)
7. उप पंजीयक कार्यालय आमेर जिला जयपुर।
8. आई डी बी आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक विद्याधर नगर जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

**<u>वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>**
**<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955</u>**

निर्णय दिनांक 09.01.2025

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रभात जाति जाट मा. देय राशि आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चम्पापुरा के हिस्से में खसरा न[illegible] 25/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/1 रकबा 0.3325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27/2 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.6075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

2. लालाराम पुत्र प्रभात जाति जाट सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 25/3 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/2 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/2 रकबा 0.1875 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. मंगलचन्द पुत्र प्रभात जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आईडीबीआई बैंक लि. शाखा चम्पापुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 27/3 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/4 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/3 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/218/2 रकबा 0.0425 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. अर्जून पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 15/24, बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/24, रतनलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 4/24 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 27/4 रकबा 0.23500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/7 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13/218/3 रकबा 0. 2825 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6075 हेक्टेयर भूमि रहेगी।
5. अर्जून पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/32 ओमप्रकाश पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 राहिन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा चम्पापुरा बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 5/96 मंगलचन्द पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 रतनलाल पुत्र गुल्लाराम हिस्सा 1/24 लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा 1/4 राहिन आईडीबीआई बैंक सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 13/218/1 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/260/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का हिस्सा होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 09.01.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | | | बबत् इजराय हुक्मानामा | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | मुतफरित | 4 रूपये | |
| मीजान | | | मीजान | | |

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.29 11:32:05 IST
Reason: SelfAttested